संख्या-116/2020/52/22-2-2020-17(479)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 12 मार्च, 2020***

विषय:- आजीवन कारावास से दण्डित बन्दियों की प्रत्येक गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी, 2020) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमरूद्दीन पुत्र श्री खैरूउल्ला, निवासी जनपद-बस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1308/प्रोवेशन-6/147/26 जनवरी, 2020 दिनांक 13-01-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आजीवन कारावास से दण्डित बन्दियों की प्रत्येक गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी, 2020) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमरूद्दीन पुत्र श्री खैरूउल्ला, जो ग्राम-बिलबरिया, थाना-पैकुइया, जनपद-बस्ती का रहने वाला है। दिनांक 02.01.1997 को अभियुक्त ने पावरलूम मालिक के 04 वर्षीय पुत्र जीशान का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया व शहर बदल-बदल कर फिरौती की मांग करता रहा। दिनांक 27.05.1999 को फिरौती की रकम वसूलने हेतु स्टेशन पहुँचा जहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर बच्चे को बरामद कर लिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-987/1999 में भा0द0वि0 की धारा-364 ए के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-19, मेरठ के आदेश दिनांक 05.03.2001 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2020 तक 20 वर्ष 07 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 06 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा शासनादेश दिनांक 01 अगस्त, 2018 के प्रस्तर-3(13) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रतिबंधित श्रेणी से आच्छादित होने के कारण सिद्धदोष बन्दी कमरूद्दीन पुत्र श्री खैरूउल्ला की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी कमरूद्दीन (बन्दी संख्या-6529) पुत्र श्री खैरूउल्ला, निवासी जनपद-बस्ती की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-116/2020/52(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in